

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./बी/संवि./21/2010/132

भोपाल, दिनांक 31/3/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकास से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती मनोरमा पथी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.फ़ीगंज जिला विदिशा	BI-8997	233101283 01	नगरपालिका परिषद गंज बासोदा जिला विदिशा जा.क्र.3621दि28.08.09	जनपद पंचायत कन्दा जिला -भोपाल जा.क्र.575दि.18.03.10 शा.प्रा.शा. इमलिया	23320125 501
2	श्रीमती राधेश्वरी बोदनिया अध्यापक शा.मा.वि.राजगढ़ जिला राजगढ़	AU4888	233001170 01	जिला पंचायत राजगढ़ जिला-राजगढ़ जा.क्र.344दि.08.07.09	नगर पालिका परिषद कोलार जिला- भोपाल जा.क्र.1458दि.03.07.09 शा.मा.शा. गेहगुआ शा.मा.शा. वासखेड़ी	23320219 702
3	श्रीमती तृपतिबाला करपते अध्यपक शा.मा.शा.कटनी जिला कटनी	AN4656	233803142 04	जिला पंचायत कटनी जिला-कटनी जा.क्र.4774दि.03.09.09	जिला पंचायत छिदवाड़ जिला- छिदवाड़ा जा.क्र.100दि.10.03.10 शा.मा.शा. कटनी जिला कटनी	23430866 609
4	श्रीमती रमणी देवी सहायक अध्यापक शा.प्रा.प्रा.वि.मन्दा जिला रतलाम	B16941	232001136 01	जनपद पंचायत आलाट जिला-रतलाम जा.क्र.1189दि16.11.09	जनपद पंचायत करवाण जिला- खरगोन जा.क्र.2796 दि.19.9.09 शा.प्रा.शा. राईवा	23271 201
5	कु.असमत जहा सहायक अध्यापक उर्दू प्रा.वि.सारंगपुर जिला राजगढ़	AU 7891	233004192 03	नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला-राजगढ़ जा.क्र.772 दि.23.09.09	जनपद पंचायत रज्जैन जिला-रज्जैन जा.क्र.211 दि.18.02.10 शा.प्रा.शा. भोगावा	23210512 501
6	श्रीमती कृष्णा दुद वरिष्ठ अ. (अंग्रेजी) शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. खनियाधाना जिला बिलौआ	BB1884	230605777 01	नगर पंचायत खनियाधाना जिला शिवपुरी जा.क्र.1083दि22.10.09	नगर पंचायत बिलौआ जिला -ग्वालियर जा.क्र.432 दि. 11.11.09 शा.जवाहरउ.मा.वि. बिलौआ	2304017 703

7	श्री विजयलक्ष्मी तिवारी (विकलांग) सहा. अध्यापक शा.प्रा.शा. फुलवारी जिला सिंगरोली	AB9569	235008155 01	अनूपपद पंचायत बड़न जिला सिंगरोली जा.क्र.1695 दि.23.09.09	अनूपपद पंचायत जवा जिला - रीवा जा.क्र. 691 दि. 27.10.09 शा.हाईस्कूल चांदी	23140966 605
8	श्रीमती उर्मिला देवी सुनार अध्यापक शा.नवीन मा.शा. जुनवानीकला जिला अनूपपूर	AB9569	233907050 02	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.690 दि 27.03.10	नगर पंचायत अमरपाटन जिला -सतना जा.क्र136 दि. 26.03.10 शा.क.उ.मा.वि. अमरपाटन	23130177 706
9	श्रीमती विजयलक्ष्मी कुमारी पटेल वरि.अ. (मृगौल) शा.उ.मा.वि. रूटियाई जिला गुना	AB9569	230709777 03	नगरपालिका परिषद राधोगढ़ जिला गुना जा.क्र.376 दि.04.03.10	नगर पंचायत रीवा जिला -रीवा जा.क्र5274 दि 18.03.10 शा.उ.मा.वि. भोलगढ़	23140177 714
10	श्रीमती मंजू सूर्यवंशी अध्यापक शा.मा.वि. पिरहा श्यामखेड़ी जिला भोपाल	BP3339	233201004 02	जिला पंचायत भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.7474 दि 04.3.10	नगरपालिका परिषद छिंदवाड़ा जिला -छिंदवाड़ा जा.क्र4770 दि.23.03.10 शा.एस.ए.एफ. हाईस्कूल छिंदवाड़ा शा.क.हाईस्कूल महाहरशाला छिंदवाड़ा	23430177 709
11	श्रीमती ममता गुप्ता वरि.अ.(संस्कृत) शा.क.उ.मा.वि. गौहद जिला भिण्ड	BG5945	210307777 02	नगरपालिका परिषद गौहद जिला भिण्ड जा.क्र.104 दि.15.02.10	नगरपालिक निगम ग्वालियर जिला -ग्वालियर जा.क्र820 दि. 05.09.08 शा.उ.मा.वि. क्रं.-2 मुरा	23040577 708

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमात निकाय के कालम-6 में उल्लिखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा कालम के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जाएगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. संविलियन के लिये तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय के कालम-2 में वर्णित निकाय प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक निकायों में कार्यरत है तो संविलियन प्रकरण की पूर्ति सम्भव है संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन के लिये तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी

9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



31/03/10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 31/3/10

पृष्ठा. क्र. / शि.क. / बी. / संवि. / 21 / 2010 / 133
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्वयं शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन संकुल शिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. कार्यमुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आचार्य, नगर निगम, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों का पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


31/03/10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश